

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(द्वारा मा0 जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर)

**विषय:- P.HD. के Viva-Voce में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति निस्तारण
विषयक।**

महोदय,

सादर सूचित करना है कि मेरे द्वारा P.HD. के Viva-Voce में प्रतिभाग करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय को सूचना प्रेषित की गयी। जिसके क्रम में मेरे द्वारा Viva-Voce में प्रतिभाग करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आपत्ति प्राप्त हुई, जिस पर मेरे द्वारा मय साक्ष्य आख्या प्रेषित की गयी। आख्या प्रेषित करने में अधिक समय लगने के कारण स्थिति सपष्ट करने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा आख्या चाही गयी है।

1) उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व आपत्ति में मेरे द्वारा P.HD. में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, चूंकि मेरी P.HD. लखनऊ विश्वविद्यालय से की गयी, विश्वविद्यालय में अधिक कार्य होने तथा मेरे गाइड की व्यस्तता के कारण मेरे द्वारा Viva-Voce में प्रतिभाग करने विषयक साक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हुई तथा अधिक समय लग गया। जैसे ही प्रार्थिनी को साक्ष्य प्राप्त हुआ तत्काल मा0 न्यायालय को सूचित कर आख्या प्रेषित की गयी।

2) प्राप्त आपत्ति में मेरे द्वारा की गयी P.HD. की थीसिस का विषय भी मांगा गया है, जिसका विषय **Freedom of speech & Expression issues & challenges with special refrence to film sensorship "A critical Appaisal"** है।

अतः महोदय उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या आपत्ति निस्तारण के प्रत्याशा मे महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है। किसी भी तरह की देरी प्रार्थिनी द्वारा जान बूझकर नहीं की गयी, मात्र प्रक्रिया के कारण देरी हुई, फिर भी यदि प्रार्थिनी के किसी भी कृत्य से मा0 न्यायालय के सम्मान आदि में कमी हुई हो तो प्रार्थिनी पूर्ण मनोयोग से क्षमाप्रार्थी है तथा भविष्य में ऐसी कोई कृत्य न होने पाये, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जायेगा।

दिनांक:- 29/04/24

भवदीया


(अंजिता सिंह चौहान)
अपर सिविल जज (जू0डि0),
कक्ष सं0-31, शाहजहाँपुर।